

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर- 2014/00791
मुकदमा नम्बर 98/2014

दायर दिनांक : 27-05-2014

1. सुमित्रा देवी पुत्री रामजीलाल जति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज.)

- वादीया

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र परतुराम
2. नन्दलाल पुत्र परतुराम
3. श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व० हंसराम जाति समस्त जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज.)
4. राजस्थान-सरकार जरिये (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज.)

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री हरलाल सैनी
वकील प्रति. :- श्री अशोक कुमार जागिड़

दावा : घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड, विभाजन जमीन,
स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक : 09-04-2021

वाद वादी दिनांक 22-02-2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को माँका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./890 दिनांक 31.03.2021 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम नेहरो की ढाणी तन कोलसिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 275,, 279 रकबा 1.21, 1.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 300, 301 रकबा क्रमशः 0.57, 0.50 हैक्टर तथा ग्राम कोलसिया स्थित खसरा नम्बर 1176, 1175 रकबा क्रमशः 0.76, 0.81 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़



1. ग्राम नेहरो की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 275, 279 रकबा क्रमशः 1.21, 1.10 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.31 हैक्टर का नन्दलाल पुत्र परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम नेहरो की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 300/1 रकबा 0.55 हैक्टर का सुमित्रा देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम नेहरो की ढाणी तन कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 300/2, 301 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्टर का रामजीलाल, नन्दलाल पिता परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 1176/1, 1175/1 रकबा क्रमशः 0.4050, 0.3800 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर का गुमानी देवी पत्नी स्व० हंसराज जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 1176/2, 1175/2 रकबा क्रमशः 0.4050, 0.3800 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर का रामजीलाल, नन्दलाल पिता परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-04-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

५

ए. सी. (इ. एम. (फा. ट्रे.))
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूला 6-7 जापा दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री दमयंती कंबर (आर.ए.एस.), ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ.

**दावा : घोषणा, दुरुस्ती रिकॉर्ड, विभाजन जमीन,
स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर 98/2014 (सुमित्रा बनाम रामजीलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूवरु श्री दमयंती कंबर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिव मुददई रूवरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुददालय पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09-04-2021 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम नेहरो की ढाणी तन कोलसिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 275, 279 रकबा 1.21, 1.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 300, 301 रकबा क्रमशः 0.57, 0.50 हैक्टर तथा ग्राम कोलसिया स्थित खसरा नम्बर 1176, 1175 रकबा क्रमशः 0.76, 0.81 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. ग्राम नेहरो की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 275, 279 रकबा क्रमशः 1.21, 1.10 हैक्टर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.31 हैक्टर का नन्दलाल पुत्र परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम नेहरो की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 300/1 रकबा 0.55 हैक्टर का सुमित्रा देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम नेहरो की ढाणी तन कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 300/2, 301 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्टर का रामजीलाल, नन्दलाल पिता परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 1176/1, 1175/1 रकबा क्रमशः 0.4050, 0.3800 हैक्टर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर का गुमानी देवी पत्नी स्व0 हंसराज जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 1176/2, 1175/2 रकबा क्रमशः 0.4050, 0.3800 हैक्टर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर का रामजीलाल, नन्दलाल पिता परतुराम जाति जाट निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जाये।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....वावत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09-04-2021 को जारी की गई।


र. सी. ई. दमयंती कंबर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	10.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
बकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प बकालतनामा	4.00
स्टाम्प बजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कृमिश्नर	-
वावत इजराय हुवमनामा	-	वावत इजराय हुवमनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00